Volume : 2 | Issue : 7 | July 2013 • ISSN No 2277 - 8160

Global Research Analysis International

Research Paper | Political Science

भारतीय लोकतंत्र में डीजल सब्सिडी ?
Diesel Subsidy in Indian Democracy ?

Dr.Surya Bhan Singh

Assistant Professor & Co-ordinator Deptt- of Political Science, Uttarakhand Open University, Haldwani, Nainital (263139)

ABSTRACT

शासन प्रणाली में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय है।जिसका प्रचलित अर्थ जनता का शासन है। भारत में आजादी के बाद संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है।क्योंकि इसमें यदि सरकार लोकहित में कार्य नहीं करती है तो नियतकालिक चुनाव के द्वारा लोक,तंत्र को बदलकर दूसरे को उनके स्थान पर अवसर देता है ।

कृषि पर आश्रितता के आधार पर भारत में आज भी लगभग 60 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है।कृषि कार्यों में जैसे खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई, मडाई आदि कार्यो में डीजल की आवश्यकता होती है ।जिस पर अभी तक दी जाने वाली सब्सिडी चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जा रही है ।इस नीति की विडंबना यह है कि आजादी के बाद 65 वर्ष तक वाहनों को निजी उपयोग के लिए सब्सिडी दी गई ,और अब इन्हें सब्सिडी न देने की स्थिति में किसान को भी नहीं देंगे।किसान को सब्सिडी तभी तक,जब तक कि निजी वाहनों के उपयोग को।तो सवाल यह है कि यह लोकतंत्र है या कुलीन नियत्रित तंत्रलोक है।प्रस्तुत शोधपत्र में इन्ही पक्षों का अध्ययन किया गया है ।

KEYWORDS: सब्सिडी, लोकतंत्र, राजकोषीय घाटा, कल्याणकारी राज्य, लोक का तंत्र, तंत्र का लोक।

प्रस्तावना –भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसमें जनता स्वयं सरकार को अपनी इच्छा से चुनती है ।वह सरकार जनता प्रति उत्तरदाई होती है ।वह तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि उसे जनता द्वारा निर्वाचित निम्न सदन का विश्वास प्राप्त हो ।परंतु इस उदारीकरण के दौर में शासन की कुछ नीतियों से ऐसा प्रतीत होने लगा है कि,नीतियों का निर्धारण जनता की आकांक्षाओं के अनुरुप न करके जनता पर ,और संसद पर दबाव बनाने में सक्षम लोगों के हितों के अनुरुप तय की जा रही हैं।

यद्यपि इस तरह की नीतियां तो बहुत हैं परंतु यहां हम शोध शीर्षक के अनुरुप डीजल की सब्सिडी कम करने के पीछे शासन के तर्क और उसके आम जनमानस पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हुए यह देखेंगे कि यह किस प्रकार से लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है ।

लेकतंत्र से सवाल –यह कैसा लोकतंत्र है ? जिसमें लोक की ही उपेक्षा हो रही है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है ,जिसके लिए कुछ मायावी षब्द जाल का ढांचा खडा किया गया है। उनमें से आर्थिक सुधार और राजकोषीय घाटा कम करने की कोषिष के प्रयास के नाम पर तंत्र, लोक पर हावी हो रहा है। जब तंत्र लोक पर हावी हो रहा है, तो हम यह कैसे मान लें की लोकतंत्र मजबूत हो रहा है ?अब हम अपने मूल विशय पर आते हैं ।विशय तो बहुत हैं पर आज हम डीजल पर अभी तक सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि लोक के भाग्य का फैसला लोक की समस्याओं को ध्यान में रखकर नहीं लिया जाए, वरन लोक को तभी तक लाभ दिया जाए जब तक कि तंत्र से जुड़े लोंगों को लाभ दिया जा सके।

यद्यपि लोक का तात्पर्य सम्पूर्ण जनता से है किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पष्चात संविधान में ,परंपरागत भारतीय समाज में वंचित और अक्षम लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण के प्रावधान भी किये गए ,साथ ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भी प्रावधान किये गए जिससे राश्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके और हम अंतर्राश्ट्रीय स्तर पर सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त कर सकें ।

आज हम इस बात पर गर्व करते हैं कि ,हमारा देष खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है और दुनियाँ के सामने सीना तानकर खड़े हो जाते हैं।इस बात की महत्ता तब और बढ़ जाती है जब, खाद्यान्न की दृश्टि से आयात पर निर्भर राश्ट्रों को अपनी विदेष नीति के निर्धारण में भी ,विदेषी दबावों का सामना करना पड़ा है।ऐसा दबाव हम स्वयं भी अमेरिका की तरफ से ,भारत पकिस्तान के 1965 के युद्ध में झेल चुके हैं।अब सवाल उठता है कि इस तरह के दबावों से देष को किसने मुक्ति दिलाई है ?इसका उत्तर दो टूक में दिया जा सकता है कि हमारे कृशक और किसान भाइयों ने।यहाँ पर हमने कृशक और किसान दो षब्दों का प्रयोग किया है क्यों कि इन दोनों षब्दों के अर्थो को समझे विना ,हम अपने मूल विशय को षायद स्पश्ट न कर पायें।क्योंकि हमारे नीति नियंता इसका भेद किये बगैर ही डीजल सब्सिडी को समाप्त करने की बात करते हैं।कृशक का तात्पर्य खेती करने वाले उस समूह से है जो लघु और सीमान्त कृशक है जिसके पास भूमि का बहुत ही छोटा टुकड़ा होता है, जिसमें वह अपने परिवार के लिए उत्पादन करता है, जिसकी संख्या देष के जनसंख्या के 50 : से अधिक है ,जबकि किसान खेती करने वाले उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो बाजार के लिए उत्पादन करता है, जिसकी संख्या देष के जनसंख्या के 10: से अधिक नहीं है ।

इस समय एक सवाल अक्सर षासन से जुड़े हुए लोगों के द्वारा उठाया जाता है कि डीजल से सब्सिडी हटा लेनी चाहिए ,जिसकी प्रक्रिया षुरू भी हो गयी है, 50 पैसे प्रति लीटर, प्रति माह की दर से डीजल की मूल्य वृद्धि के रूप में।इस सन्दर्भ में हमारे कुछ बुनियादी सवाल है, जिनमें पहला सवाल है–कृशि कार्य में प्रयोग किये जाने वाले डीजल ,और तीब्र गति से चलने वाली महंगी कारोंध्नीजि वाहनों में प्रयोग किये जाने वाले डीजल ,इन दोनों की सब्सिडी को एक साथ खत्म करना क्या न्यायसंगत निर्णय है।क्या यह सर्वजनहिताय सिद्धांत पर कार्य करने वाले लोकतान्त्रिक भावना के अनुरूप है ?दूसरा सवाल यह है कि अब तक इन निजी वाहनों को पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग हेतु सब्सिडी क्यों दी गयी ?तीसरा सवाल –क्या आजादी के बाद 65 वर्श तक इन्हें सब्सिडी देना देष को मजबूती प्रदान करने के लिए आवैंयक था ?चौथा सवाल यह है क्या देष की कृशि को मजबूत करने का विशय अब महत्त्वपूर्ण नहीं है ? पांचवां सवाल यह है कि क्या कृशक और किसान को सब्सिडी प्रदान करने की षर्त है कि देष में चलने वाले करोणों निजी वाहनों को सब्सिडी प्रदान करना ।छठां सवाल यह है कि जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाकर देष को मजबूत कर रहा है उसे,और जो अपने निजी हित में पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल कर रहा है उसमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए ? न्याय का कौन सा सिद्ध ांत निजी हित और राश्ट्रीय हित को एक ही तराजू पर रखने को विवस कर रहा है ?

यदि निजी उपयोग हेतु ,नीजि वाहनों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर 65 वर्श तक सब्सिडी देना आवष्यक रहा है तो ,उसकी कीमत के रूप में राश्ट्रीय योगदान करने वाले कृशि से सम्बंधित विविध कार्यों के लिए अगले 65 वर्शों तक सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती है ?

प्रायः यह सवाल उठया जाता है कि पंजाब ,पँचिमी उत्तर प्रदैं ,हरियाणा तथा दैं के कुछ हिस्सों में किसान बहुत संपन्न है।इस लिए किसान को डीजल पर सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए।इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल आर्थिक सुधार के उन नुमाइन्दगों से है ,कि उन्हें खाद्यान्न के मामले में देष की आत्मनिर्भरता के रूप में उनका योगदान क्यों नहीं दिखाई देता है ,जिसके नाम पर हम प्रायः अपनी पीठ थपथपाते हैं।

इसके आगे यदि हम सब्सिडी को समाप्त करने का , कृषक समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों को देखें तो हमें बहुत ही डरावना चित्र उभरता हुआ दिखाई देता है।डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी कम करने पर और अंततः समाप्त करने पर पड़ने वाले प्रभावों में सर्वप्रथम कृशि उत्पादन लागत बढ़ जायेगी और खाद्यान्न बहुत महंगे हो जायेंगे परिणामस्वरूप देष की लगभग आधी आबादी के सामने रोटी की समस्या खड़ी हो जायेगी और आधी आबादी के अस्तित्व के समक्ष प्रष्न चिन्ह खडा हो जायेगा। इसके अतिरिक्त यात्री किराया में वृद्धि ,दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ।जीवनरक्षक दवाइयों की कीमतों में वृद्धि ।तो क्या इन किसानों को कभी प्राकृतिक आपदाओं और प्रायः बाजार की विपदाओं से रक्षा के लिए भी प्रति छः माह पर, 7: महगाई देने की कोई व्यवस्था है। यदि नहीं तो देष की 80: आबादी को इस बेतहासा बढ़ती मंहगाई से हम कैसे बचायेंगे। क्या यह निर्णय करने की अंतिम जिम्मेदारी सरकार की ही है ?ऐसी सरकार जिसके 14 प्रतिशत सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले विचाराधीन हैं।यदि इस पर अन्तिम निर्णय लेने की ठेका सरकार के पास ही है जिन्हें उक्त संसद सदस्यों का समर्थन प्रप्त है तो इससे जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यह श्लोक का तंत्र है या तंत्र का लोकश ?

लोकतंत्र –अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र क्या है ?उसके पष्चात तंत्रलोक को समझने का प्रयास करेंगे । अंततः हम यह देखेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रवृत्ति लोकतंत्र की है या तंत्रलोक की ।लोकतंत्र को जब हम षाब्दिक अर्थ देखते हैं तो स्पश्ट है कि यह दो षब्दों से मिलकर बना है 1– लोक 2– तंत्र । जिसमें लोक का अर्थ सम्पूर्ण जनता से है और तंत्र का अर्थ षासन है।इस प्रकार लोकतंत्र जनता का षासन है।षासन जनता का है ,इसको सुनिष्चित करने के लिए कुछ महत्वपूण र् पूर्वावष्यकताएं हैं जो इस प्रकार हैं –

1– सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ।
2– प्रतियोगी राजनीतिक दल ।
3– नियतकालिक चुनाव ।
4– विषेशाधिकारयुक्त वर्ग का न होना ।
5– सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं का न होना।
6– बहुमत के निर्णय के साथ अल्पमत के हितों की गारंटी भी हो ।

इसी क्रम में हम इन पूर्वावष्यकताओं को एक साथ मिलाकर देखेंगें, क्योंकि किसी भी

षासन को लोकतांत्रिक कहलाने के लिए ये नितांत आवष्यक है ।कोई भी षासन तब तक लोकतंत्र नहीं कहलायेगा जब तक कि सम्बंधित देष के प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार न हो। इसलिए सभी लोकतांत्रिक देषों में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रबंध किया जाता है।इसी लिए जे.एस.मिल ने इसे प्रतिनिधि शासन कहा है ।मूल भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक 21 वर्श की उम्र के वयस्क भारतीय नागरिक को,मताधिकार प्रदान किया गया था।परन्तु बाद में संवैधानिक संषोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्श से घटाकर , 18 वर्श कर दिया गया ।

परन्तु मतदान करने का अधिकार दे दिया जाए और किसी एक व्यक्ति को या एक ही दल के प्रत्यासी को मत देने की विवषता हो तो वह लोकतंत्र नहीं होगा।क्योंकि इसके लिए अपनी पसंद के प्रत्यासी को मत देने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए।इस लिए प्रतियोगी राजनीतिक दलों की उपस्थिति भी आवष्यक है। इसकी अनुपस्थिति के कारण गार्नर सोवियत संघ के शासन को लोकतान्त्रिक नहीं मानते हैं।अपनी पसंद के प्रत्यासी को चुनाव की स्वतंत्रता हो ,किन्तु इस चुनी हुई सरकार के कार्यकाल का निर्धारण न किया जाए तो यह चुनी सरकार भी निरंकुष हो जायेगी।इसलिए निष्चित अंतराल पर चुनाव प्रक्रिया को अपनाने का उपबंध भी किया जाता है।इसके साथ ही साथ यह भी आवष्यक है कि कोई भी विषेषाधिकारयुक्त वर्ग न हो।एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि समाज में किसी भी वर्ग के ऊपर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्योग्यताएं न थोपी जाएँ।जिसका उपबंध भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 में किया गया है।लोकतंत्र में बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं।परन्तु बहुमत से निर्णय का तात्पर्य ,बहुमत का षासन नहीं होता है।यहाँ यह स्पश्ट होना चाहिए कि बहुमत निर्णय की एक पद्धति है ,न कि षासन का तरीका। यदि किसी विशय पर निर्णय बहुमत से लिए जाएँ, परन्तु निर्णय ऐसा हो जो अल्पमत के हितों को भी सुरक्षा गारंटी प्रदान करता हो।

इस प्रकार लोकतंत्र वह षासन प्रणाली है जिसमें देष के सभी वयस्क नागरिकों को प्रतियोगी राजनीतिक दलों की उपस्थिति में निष्चित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रदान करते हों।जिसमें निर्णय बहुमत से लिए जाए परन्तु अल्पमत के हितों को भी गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था हो।इसके स्वाभाविक अर्थ को देखें तो स्पश्ट है कि ऐसी कोई भी नीति जिसमें देष के किसी भी एक व्यक्ति और समूह के हित की उपेक्षा हो रही है तो ,वह षासन लोकतांत्रिक नहीं होगा।व्यक्ति के स्तर पर लोकतान्त्रिक व्यक्ति वह है जो अपने धन,वैभव और सामाजिक स्तर के दंभ के विना ,मित्रतापूर्ण तथा सबसे मिलजुलकर रहनें वाला व्यवहार करता है ।

यदि भारतीय लोकतंत्र को इस तराजू पर रखकर देखते हैं तो स्पश्ट है कि इस पर प्रष्न चिन्ह लग रहा है क्यों कि 65 वर्श की आजादी के बाद भी किसान को उनका वाजिब हक नहीं मिल सका है।इसका तात्पर्य यह है कि षासन अपनी नीतियों का निर्माण करनें में जनता के दबाव में रहने के बजाय ,जनता पर दबाव बनाकर ,बाजार के दबाव में नीति निर्माण कर रही है ।जैसा कि हमने इस षोधपत्र में डीजल पर सब्सिडी को कम करने के विशय में पाया है ।इस प्रकार लोकतंत्र में ,बाजार की षक्तियों के दबाव में तंत्र ,लोक पर निर्णायक स्थिति में दिखाई दे रहा है ।

निष्कर्ष – उपरोक्त अध्ययनोंपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि आज जब दुनियाँ कल्याण ाकारी राज्य की अवधारणा से आगे,सशक्तीकरण की नीति पर कार्य कर रही है और अपने देश के नागरिकों को अपने जीवन यापन के लिए सक्षम बनाने पर काम कर रही है,जिससे वे स्वयं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें।आज भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में रह रही है ।इसमें से 80 प्रतिशत से अधिक कृषि से आजिविका कमाते हैं,जिनको मिलने वाली सहायता में डीजल सब्सिडी बहुत ही महत्वपूर्ण है ।अब सरकार ने पट्रोलियम नीति में आर्थिक सुधार के नाम पर,इसे निजी हाथों में सौपकर, डीजल सब्सिडी की नीति पर निर्णय लेने के दायित्व से अपने को अलग कर लिया है ।डीजल सब्सिडी को समाप्त करने के पक्ष में तर्क यह दिया जाता है कि निजी वाहनों के उपयोग में सब्सिडी देने का कोई औचित्य नहीं है।जबकि यह दो अलग विषय हैं कि 1– कृषि कार्यों के लिए डीजल सब्सिडी को जारी रखा जाए 2–निजी वाहनों के उपयोग में पट्रोलियम सब्सिडी को समाप्त किया जाए। इस लिए निजी वाहनों के उपयोग में पट्रोलियम सब्सिडी से राजस्व पर बढते भार के आधार पर कृषि सब्सिडी को समाप्त करनें का निर्णय दो कारणों से अन्यायसंगत है।प्रथम आज जब देश की कृषि की स्थिति मौसम के बदलते मिजाज से तँय होती है,ऐसे में कृषि से पेट पालने वाले किसानो की आजीविका का क्या होगा जब डीजल सब्सिडी भी नहीं होगी ।द्वितीय –क्या डीजल के निजी उपयोग पर से सब्सिडी समाप्त करने के साथ ही, कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले डीजल पर से सब्सिडी समाप्त करना न्यायसंगत है ।जब निजी क्षेत्र को आजादी के 65 वर्ष तक सब्सिडी दी जा सकती है तो अगले 65 वर्ष तक देश का पेट भरनें वाले किसान को क्यों नहीं ।विशेष रुप से तब, जब आजादी के 65 वर्ष बाद भी देश 5 किलो अनाज देने की दशा में आ गया है ।जब साने और हीरे के व्यवसायी को 65 हजार करोड़ की सब्सिडि दी जा सकती है,तो किसान को क्यों नहीं।क्या व्यवसाई विभिन्न साधनों से दबाव डाल सकते हैं,इसीलिए घ यदि ऐसा नहीं तो लोकतंत्र में कृषि कार्य में प्रयोग में आने वाले डीजल से सब्सिडी समाप्त करने का सरकारी निर्णय, न्याय से जुड़ा और भी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है।क्योंकि यदि यह न्याय है तो हम इसे क्रूर न्याय ही कहेंगे, और लोकतंत्र में क्रूर न्याय को स्थान नहीं मिलना चाहिए।यदि मिलता है तो ,यह लोकतंत्र ही नहीं है ।क्योकि लोकतंत्र में एक व्यक्ति का हित भी महत्वपूर्ण होता है,इस नीति से तो पूरा देश प्रभावित होगा ।अंततः यही सत्य प्रतीत हो रहा है कि कमजोर किसान को राहत तभी तक दी जा सकती है जब तक कि सक्षम निजी वाहन धारकों को दिया जाए ।

इस दुविधा से निपटनें के लिए एक समाधान संभव है ।यदि भारत सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरुप निर्णय लेकर कार्य करे।यह तो सत्य है कि निजी उपयोग हेतु पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी नहीं दी जा सकती है परंतु किसान को प्रति विस्वा, ढिस्मिल,वियहा,एकड़ और हेक्टेयर के हिसाब से तय करके सब्सिडी दी जा सकती है।इस सब्सिडी के निर्धारण में एक वर्ष में खेत की जुताई,बुआई,सिंचाई और मड़ाई में डीजल पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर किया जाए।

REFERENCES

दृभारतीय अर्थव्यवस्था –रुद्र दत्त, के.पी.एम. सुन्दरम,तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं – सी.बी.गेना ,समाचार पत्र –दैनिक जागरण, अमर उजाला,न्यूज चैनल–एनडीटीवी,एबीपी,आजतक,
राजनीति विज्ञान के सिद्धांत– उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत – जे.सी. जौहरी।